प्रा/67

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, Email- bseapatna@gmail.com, वेबसाईट : www.bsea.bihar.gov.in

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-29/2022 1040 /पटना, दिनांक 22/06/2022

प्रेषक,

पुरूषोत्तम पासवान,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०),
सभी जिला सहकारित पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
बिहार ।

विषय : **प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन, 2022 के लिए आवश्यक अनुदेश ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राधिकार द्वारा विभिन्न चरणों में प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किये गये हैं। विभिन्न जिलों से प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन में आरक्षण के बिंदु, मतपत्र के मुद्रण इत्यादि के संबंध में पृच्छा की जा रही है।

इस संबंध में अवगत कराना है सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 4338 दिनांक 26.05.2017 द्वारा प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के बोर्ड में अनुसूचित जाति/ अनसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान को अगले आदेश तक के लिए अपवर्जित किया गया है। उक्त आलोक में प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का वर्ष 2017 में निर्वाचन संपन्न हुआ था। आरक्षण अपवर्जन से संबंधित प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 407 दिनांक 27.05.2017 एवं पत्रांक 425 दिनांक 31.05.2017 का अवलोकन भी अपेक्षित है (प्रति संलग्न)।

मतपत्र के मुद्रण के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 467 दिनांक 07.06.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

पैक्स निर्वाचन, 2019 के दौरान प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका, पीठासीन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका, मतगणना अनुदेश एवं निर्वाचन हस्तक उपलब्ध करायी गयी है। मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के चुनाव में भी यथा आवश्यक संशोधनों के साथ (Mutatis Mutandis) उपर्युक्त पुस्तिकाओं/ परिपत्रों में सन्निहित आदेश प्रभावी होंगे।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(पुरूषोत्तम पासवान)
सचिव।

ज्ञापांक: 1040 / पटना, दिनांक 22/06/2022

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

(57)

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

अधिसूचना।

बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम,1935 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–14 की उपधारा (2) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा प्रथम परंतुक के अनुसार सभी प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति, पिछड़े वर्गों एवं अति पिछड़ें वर्गों के लिए उपबंधित क्रमशः दो–दो स्थानों के आरक्षण के प्रावधान को, अगले आदेश तक अपवर्जित करती है।

यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(राजेन्द्र राम)

सरकार के उप सचिव, बिहार।

ज्ञापांक ..../पटना, दिनांक ....

7/नि०(विधि–12)विविध–10/2017

प्रतिलिपिः– उप सचिव (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को अंग्रेजी एवं हिन्दी की दो हार्ड कॉपी एवं सी०डी० सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ एवं इसकी पाँच मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलबध कराने के लिए अग्रसारित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव, बिहार।

ज्ञापांक 4338 /पटना, दिनांक 26-5-2017

7/नि०(विधि–12)विविध–10/2017

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/आप्त सचिव माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, /बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार/सभी प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ,/सभी उप निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकरी/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/सहकारिता विभाग एवं कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ के सभी पदाधिकारी तथा कार्यवाह सहायक को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.5.17

सरकार के उप सचिव, बिहार।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 27/05/2017

अधिसूचना

संख्या नि0 प्रा0/नि0 01-03/2017......407......सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 4338 दिनांक 26.05.2017 द्वारा बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-14 की उपधारा (2) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रथम परंतुक के अनुसार सभी प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति, पिछड़े वर्गो एवं अति पिछड़े वर्गो के लिए उपबंधित क्रमशः दो-दो स्थानों के आरक्षण के प्रावधान को अगले आदेश तक अपवर्जित कर दिया गया है।

अतः सभी **प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियो** के बोर्ड में इन वर्गो के सम्बन्ध में प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी निदेश एवं सभी प्रपत्रों/अनुसूचियों में इन वर्गो के लिए की गयी प्रविष्टियाँ एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं। यथा प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 311 दिनांक 09.05.2017 एवं 399 दिनांक 26.05.2017 द्वारा प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के बोर्ड के निर्वाचन के लिए दिनांक 31.05.2017 को प्रपत्र ई-1 में सूचना प्रकाशित करने के लिए उस प्रपत्र की कंडिका-II को निम्न प्रकार प्रस्थापित समझा जायेगा:-

" II. अध्यक्ष/सचिव के पद को छोड़कर कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किंतु 50 प्रतिशत से किसी परिस्थिति में अधिक नहीं पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में यह पद रिक्त रहेगें । "

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 407 पटना/ दिनांक 27/05/2017

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 407 पटना/ दिनांक 27/05/2017

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/संबंधित नोडल पदाधिकारी/ संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी /संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) से अनुरोध है कि वे उ चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाच पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 407 पटना/ दिनांक 27/05/2017

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 407 पटना/ दिनांक 27/05/2017

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 407 पटना/ दिनांक 27/05/2017

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ उप सचिव/अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.5.17

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

(63

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, बेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/ नि० 01-03/2017 425 /पटना, दिनांक 31-5-2017

प्रेषक,

फूल सिंह,
मुख्या चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी,

विषयः **प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० में महिलाओं के आरक्षण के संबंध में।**

महाशय,

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 407 दिनांक 27.05.2017 के अंतिम कंडिका में यह उल्लेख किया गया है कि:-

'' ii. अध्यक्ष/सचिव के पद को छोड़कर कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किंतु 50 प्रतिशत से किसी परिस्थिति में अधिक नहीं पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगें। महिला सदस्य नहीं रहने के स्थिति में यह पद रिक्त रहेगें। ''

उक्त के संबंध में यह जिज्ञासा की गयी है कि कुल संख्या का आशय प्रबंध समिति के कुल सदस्य संख्या से है या अध्यक्ष/सचिव के पद को छोड़कर शेष सदस्य संख्या से है।

स्पष्ट किया जाता है कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में प्रबंधकारिणी समिति के ग्यारह सदस्यों के पद में से पॉच पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगें ।

विश्वासभाजन,

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 425 /पटना, दिनांक 31-5-2017

प्रतिलिपि : निबंधक सहयोग समितियॉ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.5.17

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

(62)

पत्रांक-~~नि० प्रा०/आ0 1-02/2014-~~ नि० प्रा०/विवि०-3-02/17 467 /पटना, दिनांक 07/06/2017

प्रेषक,

राज किशोर प्रसाद,
उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी नोडल पदाधिकारी,
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी,
सभी निर्वाचन पदाधिकारी (मत्स्यजीवी सहयोग समिति)

विषय : **प्रखण्डस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निर्वाचन, 2017 के लिए मतपत्रों के परिकल्प का निर्धारण एवं मुद्रण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निर्वाचन 2017 के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले मतपत्र एवं उसके प्रतिपर्ण के परिकल्प के संबंध में राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है:-

(1) मतपत्रों का मुद्रण जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। इस हेतु वे निम्नलिखित सुविधाओं से युक्त प्रिंटिंग प्रेसों का चयन करेंगे-

(i) वेबसेट प्रिंटिंग मशीन

(ii) चाहरदीवारी या चारों तरफ से सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था

(iii) प्रेस मालिक जो मतपत्रों के मुंद्रण के दौरान अपने प्रेस को जिला प्रशासन के अधीन रखने हेतु सहमत हों, अर्थात् इस अवधि में मतपत्रों का मुद्रण छोड़कर कोई अन्य बाहरी कार्य नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त स्तर के प्रेसों का चयन कर लेने के पश्चात् जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित प्रेस मालिक के साथ उपर्युक्त शर्त्तो पर दी गई विशिष्टि एवं दर के अनुसार मतपत्रों का मुद्रण करने के संबंध में एकरारनामा करेंगे।

(2) पूरे मुद्रण काल की अवधि में प्रेस में चौबीसों घंटे दण्डाधिकारी एवं आरक्षी पदाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे। प्रेस के स्टाफ एवं कर्मियों का पहचान पत्र निर्गत रहेगा। मुद्रण कार्य से संबंधित कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी भी कर्मी को प्रेस के अन्दर आने की इजाजत नहीं होगी।

(3) अगर किसी जिले में उपर्युक्त सुविधायुक्त प्रेस उपलब्ध नहीं हो, तब मुद्रण का कार्य किसी अन्य जिले में अवस्थित प्रेस में, जहाँ वहाँ के जिला दण्डाधिकारी अपने जिले से संबंधित मतपत्रों का मुद्रण करा रहे है, कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित जिला दण्डाधिकारी उनके मुद्रण कार्य हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करायेंगे।

(4) सभी तरह के पदों के लिए मतपत्र अभ्यर्थियों के नाम एवं उन्हें निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आवंटित चुनाव चिह्न के साथ मुद्रित किये जाएंगे। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा तैयार एवं अनुमोदित प्रारूप मतपत्र (प्रपत्र-ई-6 के आधार पर) जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कर्णांकित प्रेस को दिया जाएगा। **प्रूफ**

61

रीडिंग एवं अंतिम अनुमोदन की जिम्मेवारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी की होगी। मतपत्रों के मुद्रण के दौरान या तो वह स्वयं प्रेस में उपलब्ध रहेगा या इस कार्य हेतु किसी उपयुक्त स्टाफ को प्रतिनियुक्त करेगा।

(5) मतपत्रों का मुद्रण उपलब्धता के अनुसार 60-65 जीएसएम गुणवत्ता वाले सफेद कागज पर प्रत्येक पद के लिए विहित रंग में किया जाएगा। **अध्यक्ष पद** के लिए सफेद कागज पर **लाल रंग** से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न, शेडेड पोरशन एवं अन्य प्रविष्टियाँ मुद्रित की जाएंगी। **मंत्री/कोषाध्यक्ष पद** के लिए सफेद कागज पर **नीला रंग** से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न, शेडेड पोरशन एवं अन्य प्रविष्टियाँ मुद्रित की जाएंगी। **प्रबंध समिति के सदस्य पद** के लिए सफेद कागज पर **नारंगी रंग** से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न, शेडेड पोरशन एवं अन्य प्रविष्टियाँ मुद्रित की जाएंगी।

2. मतपत्र की विशिष्टियाँ निम्नवत् होंगी-

मतपत्र का प्रतिपर्ण

सिंगल स्तंभ वाले मतपत्र के प्रतिपर्ण की चौड़ाई 2.5 इंच एवं गहराई 2.5 इंच होगी और उसके ऊपर स्टीच के लिए 1/2 इंच जगह रखी जाएगी। डबल स्तंभ वाले मतपत्र के प्रतिपर्ण की चौड़ाई 5.5-6 इंच होगी। गहराई एवं अन्य प्रविष्टियाँ वैसी ही रहेंगी जो सिंगल स्तंभ वाले मतपत्र के प्रतिपर्ण के लिए निर्धारित है।

प्रतिपर्ण में सबसे ऊपर संबंधित सहकारी समिति का नाम एवं जिस पद हेतु मतपत्र होगा, उसका नाम अंकित रहेगा। उसके नीचे बायें से दायें निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रहेगी -जिला-..........., प्रखंड........, समिति..............

इसके नीचे बायीं ओर मतदाता का अनुक्रमांक देकर उसके बाद डॉट-डॉट रहेगा जिसपर मतदाता सूची में **मतदाता का अनुक्रमांक** अंकित किया जाएगा। इसके नीचे बायीं ओर ही **मतपत्र का क्रमांक** मुद्रित रहेगा। प्रत्येक पद के मतपत्र का क्रमांक प्राधिकार द्वारा निर्धारित सीरिज में लगातार अंकित किया जाएगा।

प्रतिपर्ण के नीचे दायीं ओर मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अंकित रहेगा और उसके सामने स्थान खाली रहेगा।

1/6 इंच चौड़ाई का रेखाओं का एक छिद्रित (perforated) ब्लॉक पद के लिए निर्धारित रंग में प्रतिपर्ण के नीचे इसे मतपत्र से अलग करने हेतु खींचा जाएगा। यहीं से मतपत्र फाड़कर मतदाता को दिया जाएगा।

मतपत्र

(1) सिंगल स्तंभ वाले मतपत्र की चौड़ाई 2.5 से 3 इंच होगी। डबल कॉलम वाले मतपत्रों की चौड़ाई 5. 5-6 इंच होगी। छिद्रित सीधी रेखा (perforated straight line) के नीचे भी 1/6 इंच चौड़ाई का रेखाओं का एक ब्लॉक खींचा रहेगा। मतपत्र के फ्रंट पेज पर पद का नाम/जिला का नाम/प्रखंड का नाम/समिति का नाम अंकित रहेगा।

(2) एक स्तंभ में अधिकतम 9 अभ्यर्थियों का मुद्रण किया जाएगा। 9 से अधिक अभ्यर्थी होने पर डबल कॉलम में मतपत्रों का मुद्रण किया जाएगा। 20 अभ्यर्थी के होने तक डबल कॉलम में एवं इससे अधिक होने पर ट्रिपल कॉलम में मतपत्रों का मुद्रण किया जाएगा।

(3) 1/3-1/2 इंच की विभाजक रेखा (dividing line) मतपत्र के बीच में होगी।

(4) अभ्यर्थी का नाम एक पैनल में मतपत्र की बायीं ओर एवं उसका चुनाव चिह्न दाहिनी ओर अंकित रहेगा।

(5) डबल कॉलम में जितने अभ्यर्थी रहेंगे, उसका आधा मतपत्र की एक ओर, एवं आधा दूसरी ओर रखा जाएगा। विषम संख्या (odd number) में अभ्यर्थी होने पर एक अभ्यर्थी के खाली स्थान को पद विशेष के मतपत्र के लिए निर्धारित रंग से शेडेड कर दिया जाएगा।

(6) प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए आवंटित जगह की चौड़ाई 1 इंच होगी तथा लम्बाई 2.5-3 इंच होगी।

(7) दो अभ्यर्थियों के बीच 3/8 इंच चौड़ाई की एक गहरी विभाजक शेडेड रेखा पद के लिए निर्धारित रंग में रहेगी।

(8) दो अभ्यर्थियों से संबंधित मतपत्र में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे 3/8 इंच चौड़ाई की शेडेड रेखा खींची रहेगी एवं इसी शेडेड रेखा में बायीं ओर मतपत्र का क्रमांक अंकित किया जाएगा। इस शेडेड रेखा के नीचे मतपत्र के अंत में 1/6 इंच चौड़ाई का बॉर्डर पद के लिए निर्धारित रंग में रखा जाएगा।

(9) सभी तरह के मतपत्र के अंत में 1/6 इंच चौड़ाई का पद के लिए निर्धारित रंग का बॉर्डर रहेगा।

(10) किसी भी चुनाव चिह्न का आकार 1.5 इंच X 1 इंच से अधिक नहीं होगा। **चुनाव चिह्न की सी०डी० प्राधिकार से प्राप्त की जा सकती है।**

(11) मतपत्र का जो क्रमांक प्रतिपर्ण में अंकित है, उसे पुनः दूसरे और तीसरे अभ्यर्थी के बीच में मतपत्र पर अंकित किया जाएगा।

(12) मतपत्रों का बंडल 50-50 का रहेगा। इसी प्रकार से सभी मतपत्र स्टीच किये जाएंगे।

विश्वासभाजन,

2/6/17

(राज किशोर प्रसाद)

उप सचिव।

7.6.17

BSEA dt. 08.06.2017